

डिप्टी कमिश्नर, इलाहाबाद

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्यापकक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कमिश्नर अधिकारी, टिब्बी

पीठासीन अधिकारी-मौजू वर्ना आर.ए.एन.

प्रकरण संख्या- 290/2019

1. विश्वास चाहर पुत्र नयीन कुमार पुत्र विनोद कुमार जाति जाट निवासी पीरकानड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।  
वादी

इतना

1. नयीन कुमार पुत्र विनोद कुमार जाति जाट निवासीयान पीरकानड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. सोनिका पत्नी लियेन्द्र चौधरी पुत्री विनोद कुमार जाति जाट निवासी सत्य साई मन्दिर अंबोहर, जिला फाजिल्का।
3. ज्योति पत्नी रमेश चौधरी पुत्री विनोद कुमार जाति जाट निवासी बतसुधार, सिरसा तहसील व जिला सिरसा।
4. स्नेहलता पत्नी विनोद कुमार जाति जाट निवासी पीरकानड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।  
प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मौजू वर्ना आर.ए.एन.के सनक वास्तु इन्फिस्टाल करके रोबल हनारे बहागरी श्री सुभाषचन्द्र वर्मा वकील वादी निज जानित मुझसे श्री महायोरप्रसाद वर्मा प्रतिवादीगण निज जानित मुवायला पैसा होकर हुकम दिया जाता है व डिप्टी सी जाली है कि बकनं० ९ एफटीपी के खाता सं० 107/109 में कुल 5579 हैं० व बकनं० ९ एफटीपी के खाता सं० 130 में 253 हैं० का वादी विश्वास चाहर को खातेदार कारकदार घोषित किया जाकर बकनं० ९ एफटीपी के खाता सं० 107/109 में से विनोद कुमार व इसी बक के खाता सं० 130 में से स्नेहलता का नाम कलसजत किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। चक्र आयजो पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अंकन करनर किया जावे।

निज.....निल.....सुबिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा  
मुकदमें के नये मुद या सरह फीलदी साराया आज की तारीख दस्तुतयाबी तक .....  
अदा करें।

असल नये दस्तख्त एवं मुहर अदालत से प्राप्त दिनांक 2-1-19 को जारी किया गया।

(सुभाषचन्द्र वर्मा)  
सहायक कलक्टर एवं  
कमिश्नर  
अधिकारी, टिब्बी